

तारीख	हुक्म या कार्यवाही तथा इतिहास तथा जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
5-8-17	पञ्चावली पेश हुई। तबूलाय फरिफेन उपस्थित। वकील विपक्षीयता को कई अवसर दिये जाने उपरान्त जवाब पेश नहीं किया। जवाब वेद दिये जाने से अनिश्चित दिये जाते हैं। पञ्चावली बहस हेतु नियत दिनांक 17-11-17 को पेश हो। 8	
7-11-17	पञ्चावली पेश हुई तबूलाय फरिफेन उपस्थित। वास्ते पञ्चावली बहस हेतु दिनांक 11-1-18 को पेश हो। 8	
11-1-18	पञ्चावली पेश हुई तबूलाय फरिफेन उपस्थित। उग्रयपक्ष बहस आप्रन्दा करना चाहते हैं बहस हेतु क्षमण्डर दिया जाता है बहस हेतु पञ्चावली दिनांक 3-3-18 को पेश हो।	
9-3-18	पञ्चावली पेश हुई, जिला कलेक्टर महोदय द्वारा थोपित अवकाश होने से पञ्चावली दिनांक 8-6-18 को पेश हो।	
16-5-18	पञ्चावली क्रम... अग्रयपक्ष... को पेश हुई। आगामी दिनांक... 28-8-18... को पेश हो।	
28-8-18	पञ्चावली पेश हुई, उग्रयपक्ष उपस्थित, उग्रयपक्षों में बहस करनी चाहिए। बहस सुनी गई, बहस के दौरान वकील प्राथी ने बताया कि प्राथी की कुल शुद्ध भूमि 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। प्राथी कुलशुद्ध भूमि से ही आज तक काबिज होकर उपयोग - उपयोग कर रहा है। परन्तु विपक्षीयता प्राथी को व्येष्टकल करने पर आगता है। अतः विपक्षीयता को अस्पाई निषेधाज्ञा से पाबंद करे कि प्राथी	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुकम की तारीख
में जारी है

को उसके आराजियात से बहिष्कृत नहीं करे व
उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे एवं
मीटिंग रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे।
मैने प्रकरण का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजों
पर मन्व किया। प्रथम दृष्टया सुविधा स्तुलन प्रार्थी
के पक्ष का है। यदि प्रार्थी के उपयोग-उपभोग में बाधा
काश्त में बाधा उत्पन्न होती है तो उसे अपूरणीय क्षति
होगी।

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम भगवानपुरा, पटवार
हल्का भगवानपुरा तहसील मांडल में स्थित आराजी
नं. 4170, 4172 कुल कित 02 रकबा 04 बीघा 12
बिस्वा भूमि की मीटिंग रिकार्ड की यथास्थिति रखने
हेतु विपक्षी गणों के विकर अस्पाई निषेधज्ञा कूल वाद
के निस्तारण तक जारी की जाती है।

पत्रावली फँसल शुमार होकर कूल वादपत्र के साधसंलग्न
है।

Jul
उपखण्ड अधिकारी
नांझल जिला भातवाड़ा